दिनांक 20.12.2017 एवं दिनांक 21.12.2017 को आहूत राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही-

अध्यक्षता - प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, पटना ।

उपस्थिति - पंजी के अनुसार

अनुपस्थित पदाधिकारीयों का नाम- सं.आ.-सह-सचिव, क्षे.परि.प्रा. सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं सारण (छपरा)। **जि0 परि0 पदा0-** पटना, बक्सर, नवादा, अरवल, लखीसराय, शिवहर। **मोटरयान निरीक्षक-** श्री संजय कु0 अश्क, श्री मृत्युन्जय कुमार सिंह, श्री रणजीत कुमार, श्री कुमार विवेक, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री उपेन्द्र राव। **प्रवर्तन अवर निरीक्षक** - श्री संदीप कुमार, श्री अरूण कुमार, श्री गरीयान मृत्युन्जय, श्री बिनोद कुमार, श्री चैतन्य नवीनन, श्री सुमन कुमार सिंहा, श्री हरेराम कुमार, श्री प्रमोद भारती, श्री धर्मवीर कुमार रजक, श्री विकास कुमार।

बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - प्रशाखा-05 एवं 07)

<u>समीक्षा के बिन्दु-</u>

1. राजस्व-

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार-

क्र.	जिला/आर.टी.ए. का नाम	नवीन लक्ष्य (पाँच महीना का अवशेष)	माहवार लक्ष्य	माह नवम्बर 2017 की वसूली	वसूली का प्रतिशत
1	**RTA, PATNA**	**81.89**	**16.38**	**166.31**	**1015.32**
2	**RTA, MUZAFFARPUR**	**118.29**	**23.66**	**72.34**	**305.75**
3	**RTA, DARBHANGA**	**117.76**	**23.55**	**43.73**	**185.69**
4	**RTA, SAHARSA**	**65.72**	**13.14**	**14.74**	**112.18**
5	**RTA,GAYA**	**98.05**	**19.61**	**17.99**	**91.74**
6	**RTA, BHAGALPUR**	**60.50**	**12.10**	**6.73**	**55.62**
7	**RTA, CHHAPRA**	**238.00**	**47.60**		**0.00**
8	**RTA, MUNGER**	**39.21**	**7.84**		**0.00**
9	**RTA, PURNEA**	**87.48**	**17.50**	**22.00**	**125.71**

सं.आ.-सह-सचिव, क्षे.परि.प्रा. भागलपुर, छपरा, मुंगेर एवं पूर्णिया को राजस्व संग्रहण में प्रगति लाने का निदेश दिया गया । इन्हे यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो दिन शमन की कार्रवाई करें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह भी देखें कि जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक शमन संबंधित कार्यो में अपेक्षित रूचि ले रहें है अथवा नहीं। कर्तव्यहीनता की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें।

जिला परिवहन पदाधिकारी-

क्र.	जिला/आर.टी.ए. का नाम	नवीन लक्ष्य (पाँच महीना का अवशेष)	माहवार लक्ष्य	माह नवम्बर 2017 की वसूली	वसूली का प्रतिशत
1	SUPAUL	507.15	101.43	200.04	197.22
2	BANKA	407.39	81.48	112.04	137.51
3	SITAMARHI	1245.29	249.06	304.28	122.17
4	SAHARSA	683.24	136.65	160.41	117.39
5	ARWAL	134.21	26.84	29.95	111.59
6	CHAPRA	1575.01	315.00	336.91	106.96
7	ARARIA	808.71	161.74	170.21	105.24
8	MADHUBANI	1242.14	248.43	261.40	105.22
9	JEHANABAD	597.36	119.47	125.61	105.14
10	MADHEPURA	1105.95	221.19	228.70	103.40
11	VAISHALI	2393.61	478.72	491.32	102.63
12	BHABHUA	818.76	163.75	167.80	102.47
13	PURNEA	2895.84	579.17	581.81	100.46
14	KATIHAR	1141.89	228.38	225.74	98.84
15	NALANDA	1402.93	280.59	273.48	97.47
16	SIWAN	2078.70	415.74	400.69	96.38
17	BHOJPUR	1747.28	349.46	317.73	90.92
18	SAMASTIPUR	1800.01	360.00	325.90	90.53
19	PATNA	14210.37	2842.07	2568.40	90.37
20	ROHTAS	1495.14	299.03	265.81	88.89
21	GAYA	3841.51	768.30	682.23	88.80
22	BHAGALPUR	2199.14	439.83	368.98	83.89
23	NAWADAH	821.75	164.35	134.76	82.00
24	BETIAH	2249.84	449.97	352.94	78.44
25	MUNGER	750.21	150.04	116.40	77.58
26	LAKHISARAI	617.11	123.42	95.36	77.26
27	MUZAFFARPUR	7248.84	1449.77	1105.85	76.28
28	AURANGABAD	1744.89	348.98	262.82	75.31
29	SHEKHPURA	354.27	70.85	52.34	73.87
30	BEGUSARAI	2337.20	467.44	338.37	72.39
31	DARBHANGA	2633.36	526.67	369.17	70.10
32	MOTIHARI	2361.79	472.36	326.72	69.17
33	GOPALGANJ	2106.51	421.30	286.11	67.91
34	JAMUI	734.54	146.91	94.70	64.46

35	KHAGARIA	866.04	173.21	101.32	58.50
36	BUXUR	1102.01	220.40	128.80	58.44
37	KISHANGANJ	1393.65	278.73	125.08	44.87
38	SHEOHAR	321.66	64.33	26.71	41.52
	Total--→	**71975.30**	**14395.06**	**12516.89**	**86.95**

60 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली वाले जिला परिवहन पदाधिकारियो से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया ।

<u>मोटरयान निरीक्षक-</u>

क्र.	पदाधिकारी का नाम	नवीन लक्ष्य (पाँच महीना का अवशेष)	माहवार लक्ष्य	माह नवम्बर 2017 की वसूली	वसूली का प्रतिशत
1	KAUSHAL K. TRIPATHY	161.79	32.36	27.06	83.62
2	BINOD KUMAR-II	179.49	35.90	15.06	41.95
3	ARUN KUMAR	74.71	14.94	5.89	39.42
4	SIDARTH S. TRIPATHY	75.59	15.12	5.61	37.10
5	SANTOSH KUMAR SINGH	82.17	16.43	6.01	36.58
6	SANJEEV KR. SINGH	208.91	41.78	14.56	34.85
7	UPENDRA RAO	96.11	19.22	6.57	34.18
8	ANIL KUMAR	61.87	12.37	4.17	33.71
9	DILIP KUMAR	216.38	43.28	14.38	33.23
10	RAKESH KUMAR	93.98	18.80	6.14	32.66
11	GAUTAM KUMAR	301.03	60.21	17.43	28.95
12	RAKESH RANJAN	137.43	27.49	7.14	25.97
13	RANJEET KUMAR	277.07	55.41	11.69	21.10
14	SANJAY KUMAR	177.70	35.54	7.11	20.01
15	AMITABH KUMAR	39.92	7.98	1.57	19.67
16	SUNIL PRAKASH TIWARY	134.60	26.92	5.01	18.61
17	SANJAY KUMAR 33	342.30	68.46	12.05	17.60
18	PARTH SARTHI	297.60	59.52	10.14	17.04
19	DIVYA PRAKASH	230.24	46.05	7.54	16.37
20	RAJIV RANJAN	274.58	54.92	8.12	14.79
21	SMT. ARCHANA KUMARI	171.39	34.28	4.74	13.83
22	NISHANT KUMAR	204.56	40.91	5.02	12.27
23	AJAY KUMAR	272.34	54.47	6.06	11.13
24	SANJAY KUMAR TIGER	223.26	44.65	4.79	10.73
25	MRITUNJAY KR. SINGH	703.42	140.68	11.86	8.43
26	SUJIT KUMAR	180.96	36.19	2.54	7.02
27	VINOD KUMAR	270.04	54.01	2.97	5.50
28	SANJAY KUMAR ASHK	217.60	43.52	2.36	5.42
29	SUNIL KUMAR SINGH	240.64	48.13	2.44	5.07
30	ANUP KUMAR SINGH	215.00	43.00	1.78	4.14
31	KUMAR VIVEK	345.78	69.16		0.00
	Total--→	**6508.46**	**1301.70**	**237.81**	**18.27**

कौशल किशोर त्रिपाठी मोटरयान निरीक्षक, बांका को छोड़कर सभी मोटरयान निरीक्षकों की राजस्व वसूली ठीक नहीं है ।

40 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली करने वाले मोटरयान निरीक्षकों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया एवं 15 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली वाले मोटरयान निरीक्षकों पर प्रपत्र-'क' गठित करने का निदेश दिया गया ।

प्रवर्तन अवर निरीक्षक-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	नवीन लक्ष्य (पाँच महीना का अवशेष)	माहवार लक्ष्य	माह नवम्बर 2017 की वसूली	वसूली का प्रतिशत
1	SHIV KUMAR	355.98	71.20	32.22	45.25
2	PRAMOD BHARTI	404.92	80.98	29.66	36.63
3	SUMAN KUMAR SINHA	502.07	100.41	27.01	26.90
4	HARE RAM KUMAR	367.80	73.56	13.46	18.30
5	SAROJ KUMAR SINGH	166.00	33.20	5.58	16.81
6	DHARAMVEER KUMAR AZAD	357.93	71.59	10.81	15.10
7	SMT. VIBHA KUMARI	287.79	57.56	7.93	13.78
8	SUNIL KUMAR	249.20	49.84	6.37	12.78
9	MANOJ KUMAR	570.50	114.10	14.17	12.42
10	MD. IMTEYAZ AHMAD	540.27	108.05	12.25	11.34
11	SATISH KUMAR	182.75	36.55	3.70	10.12
12	PAWAN KUMAR	286.22	57.24	5.53	9.66
13	SANDEEP KUMAR	384.54	76.91	7.31	9.50
14	KUNDAN KUMAR	455.90	91.18	8.60	9.43
15	MANOJ KUMAR RANJAN	334.55	66.91	6.02	9.00
16	BASANT KUMAR	355.07	71.01	6.36	8.96
17	GARIYAN MRITUNJAY	462.47	92.49	8.25	8.92
18	AMRENDRA KUMAR	309.58	61.92	5.30	8.56
19	RAJEEV KUMAR	374.61	74.92	6.36	8.49
20	SHYAM NANDAN PRASAD	553.89	110.78	8.86	8.00
21	ASHOK KUMAR PASWAN	348.23	69.65	5.53	7.94
22	LALIT KUMAR DUBEY	352.19	70.44	5.45	7.74
23	SHAILENDRA KUMAR	346.69	69.34	4.68	6.75
24	SANTOSH KUMAR	516.88	103.38	6.87	6.65
25	AMIT KUMAR GUPTA	447.53	89.51	4.97	5.55
26	ANIL KUMAR	435.93	87.19	4.73	5.42
27	HARISHANKAR KUMAR	205.13	41.03	2.15	5.24

28	BINOD KUMAR	615.22	123.04	5.18	4.21
29	SRI PANKAJ	625.88	125.18	2.20	1.76
30	ANJANI KUMAR PATHAK	537.02	107.40	1.54	1.43
31	RAKESH KUMAR	411.39	82.28	1.00	1.22
32	PRABHASH CHANDRA JHA	137.10	27.42	20.20	73.66
33	ANIS KUMAR	327.73	65.55	0.15	0.22
34	VIKAS KUMAR	491.76	98.35	4.33	4.40
35	GOPAL MISHRA	238.66	47.73	13.08	27.40
36	ARUN KUMAR	408.90	81.78	6.5	7.94
37	ANIL KUMAR SINGH	777.30	155.46	16.28	10.47
38	HEMANT KUMAR PRASAD	360.64	72.13	0.12	0.16
39	CHAITANYA NAVEENAM	489.97	97.99	6.93	7.07
	Total-------->	**15576.19**	**3115.25**	**337.64**	**10.83**

50 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली करने वाले प्रवर्तन अवर निरीक्षकों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया एवं रू0 5.00 (पाँच लाख) प्रतिमाह से कम राजस्व वसूली वाले प्रवर्तन अवर निरीक्षकों पर प्रपत्र-'क' गठित करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन - सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक, सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा-05 एवं 07)

2. मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक के शमन संबंधित अभियान की मॉनिटरिंग - जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने जिले में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त शमन शक्ति प्राप्त पदाधिकारियों के प्रवर्तन संबंधित कार्यो की प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग करेंगें। आवश्यकतानुसार उन्हें जिला प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर पुलिस बल उपलब्ध करायेंगें। दैनिक एवं सप्ताहान्त में अभियान के फलाफल से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगें। प्रवर्तन अवर निरीक्षक का मूल काम शमन कार्य है। अत: उन्हें निदेश दिया गया कि वे जिला परिवहन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अपने अभियान की योजना बनायेंगें एवं आवश्यकतानुसार उनसे प्रशासनिक सहयोग प्राप्त करेंगें।

(अनुपालन - सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा-05 एवं 07)

3. जब्त वाहनों को अभिरक्षण में रखने हेतु निदेश - जब्त वाहनों को थाना परिसर के अतिरिक्त बाजार समिति, प्रखण्ड परिसर एवं अन्य उचित स्थान पर अभिरक्षण में रखने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेंगें । मुख्यालय स्तर से जिला पदाधिकारी को अनुरोध करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा-05 एवं 07)

4. ओवरलोडिंग के संबंध में अभियान चलाने का निदेश – जिला पदाधिकारी से सहयोग प्राप्त कर ओवरलोडिंग मामले में सघन अभियान चलाने का निदेश दिया गया। इस अभियान के फलाफल का विभाग को अगले दिन प्रतिवेदन भेजा जाय।

(अनुपालन – आई0 टी0 मैनेजर एवं प्रशाखा-03)

5. डीलर प्वांइट रजिस्ट्रेशन चालू करने हेतु निदेश – जिला परिवहन पदाधिकारी गया एवं औरंगाबाद के द्वारा बताया गया कि वाहन विक्रेता एजेन्सी द्वारा गाड़ियों की बिक्री के उपरान्त वाहन मालिक अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराकर अन्य राज्यों में स्थायी निबंधन हेतु चले जाते है । यदि डीलर प्वांइट पर रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ कर दिया जाय तो समस्या का समाधान हो सकता है। फलत: डीलर प्वांइट रजिस्ट्रेशन चालू कराने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा-02)

6. सड़क सुरक्षा समिति – जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि प्रत्येक तीन माह पर नियमित रूप से सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की जाय एवं उसकी कार्यवाही विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन – सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा कोषांग)

7. जुगाड़ गाड़ी के विरूद्ध की गई कार्रवाई – चूँकि जुगाड़ गाड़ी का टाईप एप्रूवल नहीं है इसलिए इसका निबंधन नहीं किया जा सकता है। इसके परिचालन पर पूर्णत: रोक लगाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय का आदेश निर्गत है। उक्त के आलोक में सभी नियमसंगत धाराओं का उपयोग करते हुए जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर पूर्णत: रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा-02)

8. अंकेक्षण कंडिकाओं का अनुपालन – वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2007-08 एवं 2008-09 से 2015-16 और निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 तक के निरीक्षण प्रतिवेदन को भेजने का निदेश दिया गया। अनुपालन प्रतिवेदन अद्यतन होना चाहिए तथा उसके साथ साक्ष्य संलग्न रहना चाहिए। साक्ष्य से अभिप्राय है कि यदि नीलाम-पत्र दायर किया गया है तो वाद संख्या के साथ प्रतिवेदन एवं यदि राशि जमा की गई है तो चालान की प्रति के साथ प्रतिवेदन।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(अनुपालन – सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा-03)

9. सेवान्त लाभ एवं कोर्ट केस - सभी संबंधित पदाधिकारियों को सेवान्त लाभ से संबंधित मामलों एवं लंबित वादों को त्वरित गति से निष्पादन हेतु निदेश दिया गया।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(अनुपालन - सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, विधि कोषांग तथा प्रशाखा-05 एवं 07)

10. व्हाटसएप ग्रुप का गठन - जिला परिवहन पदाधिकारियों का व्हाटसएप ग्रुप सफलता पूर्वक संचालन में है। किन्तु मोटरयान निरीक्षकों एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के व्हाटसएप ग्रुप में दैनिक प्रतिवेदन प्रेषण संतोषजनक नहीं है। अत: दैनिक प्रतिवेदन व्हाटसएप पर भेजना **सुनिश्चित** किया जाय ।

(अनुपालन - आई0 टी0 मैनेजर, प्रशाखा-05 तथा प्रशाखा-07)

11. ऑन लाईन रिपोर्टिंग - जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ऑन लाईन रिपोर्टिंग की जा रही है, जो सराहनीय है। मोटरयान निरीक्षक बाँका, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, बेतिया, पटना, पूर्णियाँ, शेखपुरा, शिवहर एवं सीतामढ़ी द्वारा ऑन लाईन रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक अशोक कुमार पासवान, मुजफ्फरपुर को छोड़कर शेष सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षकों द्वारा ऑन लाईन रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है। ज्ञात हो कि सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को ऑन लाईन प्रतिवेदन भेजने के लिए एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर चिन्हित करने का निदेश पूर्व में ही जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया जा चुका है।

ऑन लाईन रिपोर्टिंग नहीं करने वाले पदाधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गयी तथा दिसम्बर माह से अपरिहार्य रूप से ऑन लाईन रिपोर्टिंग करने का निदेश दिया गया है। आगामी बैठकों में प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी ले कर उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा-03)

12. अवकाश स्वीकृत कराने संबंधी निदेश - समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं मोटरयान निरीक्षक बिना मुख्यालय की जानकारी के लम्बे समय तक छुट्टी पर चले जाते है । इससे राजस्व संग्रहण एवं अन्य कार्य प्रभावित होता है। छुट्टी प्राप्त करने में एकरूपता भी नहीं है। अत: निदेश दिया जाता है कि मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक अपने छुट्टी का आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी को समर्पित करेंगें। जिला परिवहन पदाधिकारी अनुशंसा के साथ उसे राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार,पटना को अग्रसारित करेंगें। अवकाश की स्वीकृति राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना स्तर से दी जायेगी। अति आवश्यक परिस्थिति में राज्य परिवहन आयुक्त से फोन पर बात कर छुट्टी प्राप्त की जा सकती है।

(अनुपालन - सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा-05 एवं 07)

13. प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारियों हेतु निर्देश – एक से अधिक स्थलों पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारी अपने मौलिक पदस्थापन वाले स्थलों पर सप्ताह के प्रारंभिक तीन दिनों एवं अतिरिक्त स्थल पर अन्तिम तीन दिन कर्तव्य का निर्वहन करेंगें। यदि तीन जिले के प्रभार में हैं तो यह अवधि दो-दो दिन की होगी ।

(अनुपालन – सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा प्रशाखा-05 एवं 07)

ह0/-
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 03/प्र0-सांख्यिकी (विविध)-22/2012 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 03/प्र0-सांख्यिकी (विविध)-22/2012 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- परिवहन विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 03/प्र0-सांख्यिकी (विविध)-22/2012 225 पटना, दिनांक- 09.01.18

प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।